फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री खुमाणनाथ | विपक्षी : चन्दाबाई

किस्म मुकदमा – 88,188 रा0का0अ0 | पत्रावली संख्या : 98/22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक :– 27.06.2023

पत्रावली उभय पक्षकारान द्वारा पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प खेमपुर में पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का अवलोकन किया। प्रतिवादी सं. 5 से 8 सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया हैं। वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 5 से 8 से किसी प्रकार की दाद नहीं चाही गई है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पिता/पति केशुलाल उर्फ केशा के नाम व सुखा पिता गांगा के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। सुखा वर्तमान में फौत हो चुका है, सुखा द्वारा गोदनामें के आधार पर मांगीलाल को गोद रखा एवं न्यायालय जिलाधीश उदयपुर के प्रकरण संख्या 62/2003 मांगीलाल बनाम नाथुसिंह निर्णय दिनांक 06.08.2022 से मांगीलाल को सुखा का वारिस माना हैं। वर्तमान में मागीलाल लाऔलाद फौत हो चुका हैं। मांगीलाल द्वारा 100/– स्टाम्प पर ईकरारनामा निष्पादित कर प्रतिवादी सं. 4 गणेशीबाई पत्नी केसुराम डांगी के पक्ष में अपनी सम्पूर्ण हक अधिकार प्रदान किये। केशुलाल उर्फ केशा भी फौत हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 4 हैं। अतः प्रतिवादी सं. 1 से 4 संयुक्त रूप से केशा उर्फ केसुराम के बजाय 1/15 हिस्सा एवं सुखा पिता गांगा 1/15 के बजाय मांगीलाल पिता सुखा 1/15 के बजाय प्रतिवादी सं. 4 गणेशीबाई होना जाहिर होता हैं। वादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.09.2015 के आधार पर 1/10 हिस्से की घोषणा कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। उक्त विक्रय पत्र प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पिता/पति द्वारा विक्रय किया गया हैं। उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर विक्रय पत्र के आधार पर वादी को संयुक्त रूप से 1/10 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने पर सहमति व्यक्त की। चूंकि प्रतिवादी सं. 4 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्से को वादी के पक्ष में किये जाने पर 500/– स्टाम्प पर सहमति व्यक्त की। शामिल फाईल रहे।

वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण राजीनामा अनुसार डिक्री करवाना चाहते हैं। इस बाबत् पक्षकारों द्वारा राजीनामा भी न्यायालय में पेश किया हैं जो शामिल फाईल किया गया हैं। अतः पक्षकार राजीनामा अनुसार वाद को स्वीकार कराने पर सहमत हैं। अतः वादी का वाद आपसी राजीनामा के आधार पर स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादी व प्रतिवादीगण का वाद आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा वांगरोदी पटवार हल्का भीमल की आराजी नम्बर 466 रकबा 0.2023 हेक्टेयर भूमि में केशा उर्फ केशुलाल 1/15 हिस्सा के बजाय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.09.2015 के आधार पर वादी को 1/15 हिस्सा एवं खातेदार सुखा पिता गांगा हिस्सा 1/15 के बजाय वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। सुखा पिता गांगा के नाम दर्ज 1/15 हिस्से भूमि का नियमानुसार स्टाम्प शूल्क वसूल कर वादी के नाम दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम...

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:34:07 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 98/22 (वाद) GCMS No. : 2022/243

उनवान

1. श्री खुमाणनाथ पिता अर्जुननाथ राजपूत निवासी टिलोरा तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. चन्दाबाई पुत्री केसिया डांगी निवासी वांगरोदी तह. मावली।
2. पुष्पा पुत्री केसिया डांगी निवासी वांगरोदी तह. मावली।
3. श्री मुकेश पिता केसिया डांगी निवासी वांगरोदी तह. मावली।
4. श्रीमती गणेशीबाई पत्नी केसिया डांगी निवासी वांगरोदी तह. मावली।
5. श्री लालुराम पिता नाना डांगी निवासी वांगरोदी तह. मावली।
6. श्री किशनलाल पिता नाना डांगी निवासी वांगरोदी तह. मावली।
7. श्रीमती सोवनीबाई पुत्री नाना पत्नी अमरालाल डांगी निवासी वांगरोदी हाल चासंदा जिला उदयपुर।
8. श्रीमती धापू पत्नी नाना डांगी निवासी वांगरोदी तह. मावली।
9. पटवारी, पटवार हल्का भीमल तह. मावली।
10. उप पंजीयक अधिकारी उप पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी राजीनामा अनुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा वांगरोदी पटवार हल्का भीमल की आराजी नम्बर 466 रकबा 0.2023 हेक्टेयर भूमि में केशा उर्फ केशुलाल 1/15 हिस्सा के बजाय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.09.2015 के आधार पर वादी को 1/15 हिस्सा एवं खातेदार सुखा पिता गांगा हिस्सा 1/15 के बजाय वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। सुखा पिता गांगा के नाम दर्ज 1/15 हिस्से भूमि का नियमानुसार स्टाम्प शूल्क वसूल कर वादी के नाम दर्ज किया जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27.06.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:34:07 IST
Reason: SelfAttested